राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 63/2026 प्रा0पत्र

अनवान

लू सिंह पुत्र विरदसिंह जाति रावत निवासी पिपरेलू दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द।

........................प्रार्थी

–:: बनाम ::–

रेये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमन्द।

........................अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नैना सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक:– 13/4/2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा पीपरेलु पटवार हल्का दिवेर भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द(राज.) में निम्न विवरण वाली आराजीयात् वादी के बाप दादाओं के नाम खाते होकर पीढ़ियों से हम काश्त करते कराते आ रहे हैं। उक्त आराजीयातों का विवरण निम्न प्रकार है :–

–:: प्ररिशिष्ठ (अ) ::–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
91	238	0.0182	गै.मु.चाह
कुल खसरे– 1 कुल क्षेत्रफल 0.0182 हैक्टेयर भूमि			
101	233	0.1619	चाही 2 बंझड़
कुल खसरे– 1 कुल क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर भूमि			
103	151	0.0162	गै.मु.चाह
कुल खसरे– 1 कुल क्षेत्रफल 0.0162 हैक्टेयर भूमि			

उपरोक्त खसरा नम्बरान् जो कि आराजी पुश्तैनी काश्त भूमि होकर विभागीय अधिकारी की लती/भूल से मेरा नाम कालू सिंह पुत्र विरदसिंह के बजाय कालू सिंह पुत्र विरध सिंह दर्ज हो या है :–

यह कि मौजा पीपरेलु पटवार हल्का दिवेर भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द में निम्न विवरण वाली आराजीयात वादी के बाप दादाओं के नाम खाते होकर पीढ़ियों से हम काश्त करते कराते आ रहे हैं। यह कि मुझ वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र में कालूसिंह पुत्र श्री विरदसिंह सही नाम दर्ज है। यह कि वाद पत्र कारण दिनांक 14.02.2025 को तब उत्पन्न हुआ जब मुझ वादी द्वारा पंचायत मुख्यालय दिवेर में सम्पन्न राजस्व शिविर में फॉर्मर आईडी बनवाने गया उस समय मौके पर मौजूद तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों की टीम ने बताया कि आपके कृषि भूमि में आधे खातों में कालू सिंह पुत्र विरध सिंह है व आधे खातो में कालू सिंह पुत्र विरद सिंह है, जिससे कालू सिंह पुत्र विरध सिंह दुरुस्त कर कालू सिंह पुत्र विरद सिंह किया जाने के बाद ही कृषि फॉर्मर आईडी बनेगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम पीपरेलु पटवार हल्का दिवेर भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दिवेर तहसील भीम जिला राजसमन्द की जमाबन्दी में वादी का नाम कालूसिंह पुत्र श्री विरध सिंह की जगह कालूसिंह पुत्र श्री विरदसिंह दर्ज कर शुद्धिकरण का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार –

- ग्राम पीपरेलू पटवार मण्डल दिवेर कि वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 91 में कालू सिंह पिता विरध सिंह 1/3, 101 में कालू सिंह पिता विरधसिंह 1/18, 103 में कालू सिंह पिता विरधसिंह 1/16, 10 में कालू सिंह पिता विरदसिंह हिस्सा पूर्ण रावत होकर सह खातेदार दर्ज है।
- ग्राम पीपरेलू के खाता संख्या 10 में वादी का नाम कालूसिंह पिता विरदसिंह होकर वाद पत्र में वर्णित अनुसार सही नाम है जिसमें कोई शुद्धि वाद पत्र में वर्णित अनुसार अपेक्षित नही है जबकि खाता संख्या 101, 91 व 103 में सहखातेदार होकर कालूसिंह के साथ उसके दो भाई, पृथ्वी सिंह व मन्नासिंह सहखातेदार होकर खाता संख्या 101 में पिता विरध सिंह व खाता संख्या 91 व 103 में पिता विरध सिंह दर्ज है।
- वादपत्र अनुसार कालूसिंह अपने पिता का नाम विरदसिंह कराना चाहता है जबकि उक्त खसरा सख्या 101, 91 व 103 में उसके भाई पृथ्वी सिंह व मन्नासिंह जो सहखातेदार है उक्त वादपत्र में वादी/प्रतिवादी नही होने से उनके पिता का नाम परिवर्तित नही होगा।
- वक्त जांच उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि कालूसिंह, पृथ्वीसिंह, मन्नासिंह के पिता का नाम विरदसिंह सही है।
- वादी के पिता का नाम दुरुस्ती हेतु वादी स्वयं न्यायालय में अपने दस्तावेजों, गवाहों के आधार पर प्रमाणित करा आदेश पारित करावें।

प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम कालूसिंह पुत्र श्री विरध सिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में इनका नाम कालूसिंह पुत्र श्री विरदसिंह है जो सही है। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में प्रार्थी कालूसिंह पुत्र श्री विरध सिंह का नाम दुरस्त कर कालूसिंह पुत्र श्री विरदसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/4/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ... राजसमन्द)